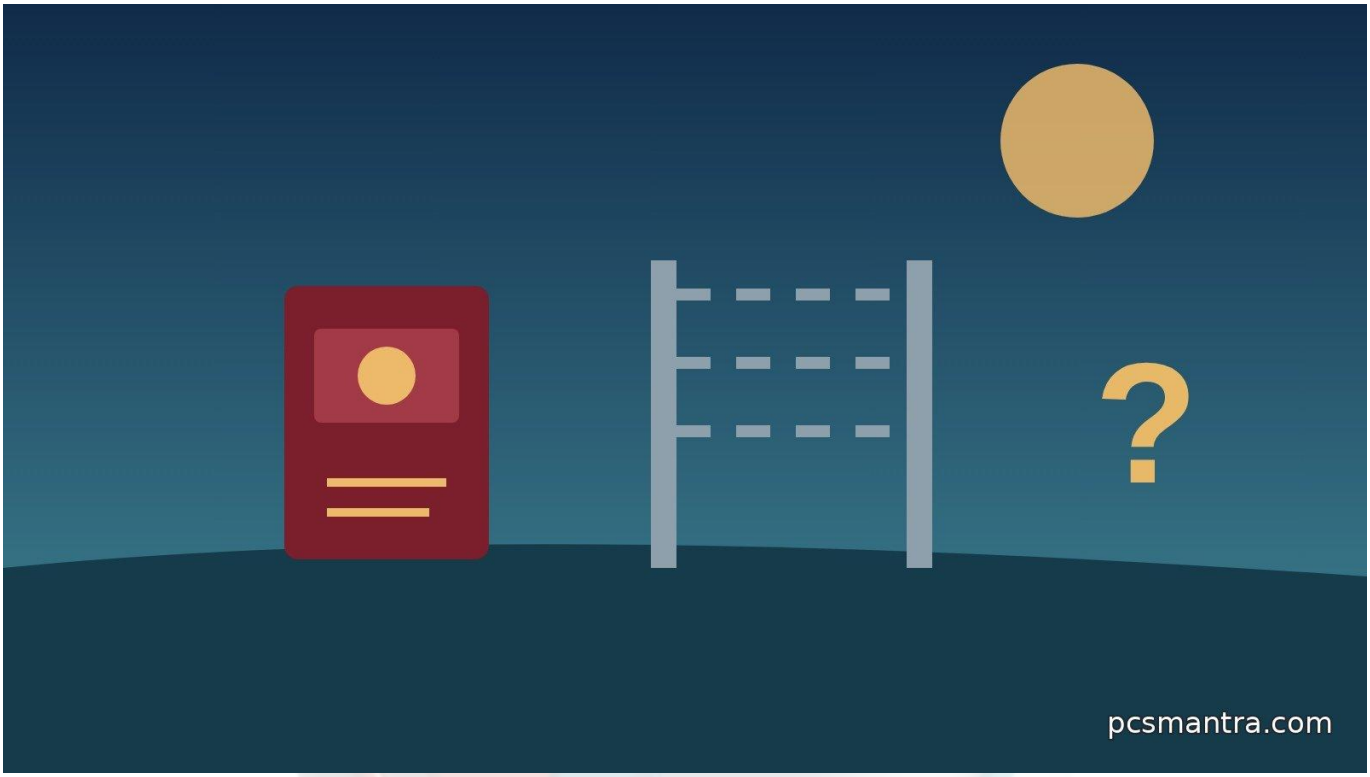
हासिना की वापसी की दहलीज़: एक पासपोर्ट अनुरोध ने प्रत्यर्पण पहेली कैसे उलझाई?

समाचार-संदर्भ: 9 नवंबर 2026

प्रकाशन: 10 नवंबर 2026

प्रिलिम्स: भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय

मुख्य परीक्षा: GS-II: भारत और पड़ोसी देशों के संबंध, प्रत्यर्पण, अंतर्राष्ट्रीय कानून



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

Indian Express की 9 नवंबर की रिपोर्ट (अद्यतन 10 नवंबर) के अनुसार एक कानून फर्म ने शेख हासिना की ओर से होने का दावा करते हुए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ई-मेल भेजा। उच्चायोग ने कहा कि फर्म ने हासिना की अनुमति का प्रमाण नहीं दिया, इसलिए अनुरोध का वास्तविक प्राधिकार सत्यापित नहीं था। अवामी लीग ने दिसंबर में उनकी वापसी की मंशा का दावा किया है; इसे तय यात्रा या सत्यापित व्यक्तिगत आवेदन न समझें। मामला संवेदनशील है, क्योंकि ढाका की तारीक रहमान सरकार पहले से ही हासिना का **प्रत्यर्पण** माँग रही है और हासिना को मानवता के विरुद्ध अपराधों में **मृत्युदंड** की सजा सुनाई जा चुकी है।

> **बुनियादी जानकारी: प्रत्यर्पण (Extradition)** प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश किसी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को दूसरे देश को उसके अनुरोध पर सौंपता है, ताकि वहाँ उस पर मुकदमा चल सके या सजा दी जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच **2013 की प्रत्यर्पण संधि** है। प्रत्यर्पण में दोहरे अपराध (dual criminality) का सिद्धांत लागू होता है - आरोप दोनों देशों में अपराध होना चाहिए; अनुच्छेद6 में राजनीतिक अपराध के आधार पर इनकार का

प्रावधान है, लेकिन हत्या, अपहरण और अन्य सूचीबद्ध गंभीर कृत्यों को इस अपवाद से बाहर रखा गया है। राजनीतिक पद अपने आप सुरक्षा नहीं देता।

पासपोर्ट अनुरोध पर क्या हुआ

कानून फर्म का कथित प्रतिनिधित्व वाला पत्र (9 नवंबर): पत्र में कहा गया कि अंतरिम सरकार ने हासिना का मौजूदा पासपोर्ट और NID निरस्त कर दिया था; बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर और "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपक्रमों से उत्पन्न दायित्वों" के अनुरूप नया पासपोर्ट-NID जल्द जारी किया जाए।

उच्चायोग की आपत्ति: बांग्लादेश उच्चायोग के प्रवक्ता सैदुर रहमान ने कहा कि हासिना ने स्वयं कोई आवेदन नहीं दिया है; कानून फर्म के ई-मेल में उसकी ओर से अधिकरण का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है। फिर भी ई-मेल विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।

ढाका की प्रतिक्रियाएँ: गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जाँच चल रही है। विदेश राज्य मंत्री हुमाइयून कबीर ने अनुरोध को "पूरी तरह हास्यास्पद" कहा - "बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता... यह हैंडओवर का विषय है, यात्रा का नहीं।"

अवामी लीग का दावा: पार्टी ने कहा कि हासिना दिसंबर में लौटकर अपने विरुद्ध चल रही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहती हैं; पार्टी ने कानून फर्म के अनुरोध को इसी मंशा से जोड़ा; उच्चायोग ने प्रतिनिधित्व की पुष्टि नहीं की।

भारत की स्थिति: बांग्लादेश की प्रत्यर्पण माँग पर भारत ने पहले कहा है कि अनुरोध "विचाराधीन" है। हासिना अगस्त 2024 के छात्र-जन आंदोलन के बाद से दो वर्षों से अधिक समय से भारत में हैं।

10 नवंबर: यात्रा-दस्तावेज़ और प्रत्यर्पण पर भारत की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शेख हासिना के प्रत्यर्पण को कानूनी विषय बताया और कहा कि इसे उसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा। पासपोर्ट-अनुरोध से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने बांग्लादेश उच्चायोग से जानकारी लेने को कहा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सामान्य यात्रा के लिए यात्रा-दस्तावेज़ की आवश्यकता की अपनी समझ बताई, पर साथ ही इसे तकनीकी विषय कहा और आगे स्पष्टीकरण देने की बात कही।

इस प्रतिक्रिया को ऐसा अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए कि पासपोर्ट न होने पर प्रत्यर्पण असंभव है। यात्रा-दस्तावेज़, अनुरोध की प्रामाणिकता और प्रत्यर्पण की कानूनी जाँच अलग प्रश्न हैं। यह ब्रीफिंग हासिना की वापसी की तय तारीख, प्रत्यर्पण की मंज़ूरी या प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि भी नहीं करती।

MEA: Transcript of Biweekly Media Briefing, 10 नवंबर 2026

विश्लेषण: कानून और कूटनीति के बीच

प्रत्यर्पण संधि की परीक्षा: 2013 संधि के तहत प्रत्यर्पण का औपचारिक मार्ग मौजूद है, पर अंतिम निर्णय भारत की न्यायिक और सरकारी प्रक्रिया से गुजरेगा। किसी राजनीतिक पदधारक का मामला होना या पासपोर्ट का अनुरोध अपने आप संधि की शर्तों को पूरा नहीं करता।

भारत की कूटनीतिक दुविधा: हासिना का भारत में रहना और प्रत्यर्पण माँग - दोनों पड़ोसी संबंधों के केंद्र में हैं। तारीक रहमान सरकार के साथ कार्यकारी संबंध बनाने की जरूरत और हासिना के साथ भारत के पुराने संबंधों के बीच संतुलन, भारत की 'पड़ोसी पहल' की कसौटी है।

व्यवस्थागत संकेत: यह घटना यह भी दिखाती है कि कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल नागरिकता-दस्तावेज़ जारी करने में प्राधिकरण-पत्र और सत्यापन की औपचारिकताएँ कितनी गंभीरता से लेते हैं।

आगे की राह

बांग्लादेश विदेश मंत्रालय की समीक्षा, भारत की प्रत्यर्पण-जाँच प्रक्रिया, और अवामी लीग का दिसंबर में वापसी का दावा - तीनों बिंदुओं पर नज़र रखनी होगी। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मामले का कानूनी और शांतिपूर्ण निपटारा दोनों देशों के हित में है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह संधि 2013 में हस्ताक्षरित हुई

II. प्रत्यर्पण में 'दोहरे अपराध' (dual criminality) के सिद्धांत का अर्थ है कि आरोपी कृत्य दोनों देशों के कानून में अपराध होना चाहिए

III. राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण संधियों में सामान्यत: अनिवार्य प्रत्यर्पण का प्रावधान होता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) I, II और III

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

सही उत्तर: (a) कथन I सही है - भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि पर 28 जनवरी 2013 को ढाका में हस्ताक्षर हुए कथन II सही है - दोहरे अपराध का सिद्धांत प्रत्यर्पण की आधारभूत शर्त है कथन III गलत है - राजनीतिक अपराध प्रत्यर्पण का सामान्य अपवाद हैं, अनिवार्य प्रत्यर्पण की श्रेणी नहीं

शेख हासिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. वह अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं

II. बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने उनका प्रत्यर्पण भारत से औपचारिक रूप से माँगा है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I, न ही II

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

सही उत्तर: (c) कथन I सही है - अगस्त 2024 के आंदोलन से सरकार गिरने के बाद हासिना भारत में रह रही हैं कथन II सही है - बांग्लादेश के गृह और विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण संधि के तहत औपचारिक माँग भेजने की बात कही है; भारत ने इसे विचाराधीन बताया है

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

शेख हासिना के पासपोर्ट मामले और बांग्लादेश की प्रत्यर्पण माँग ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के समक्ष कानूनी और कूटनीतिक जटिलताएँ रखी हैं। भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों और उनसे जुड़े विचारों का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए - 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: अगस्त 2024 से भारत में रह रही हासिना के विरुद्ध मृत्युदंड और बांग्लादेश की प्रत्यर्पण माँग ने 2013 की द्विपक्षीय संधि के अंतर्गत प्रक्रियागत प्रश्न खड़े किए हैं।

मुख्य भाग में: - कानूनी ढाँचा: 2013 प्रत्यर्पण संधि; दोहरे अपराध का सिद्धांत; राजनीतिक अपराध का सीमित अपवाद और गंभीर अपराधों के लिए उससे बहिष्करण; भारत में प्रत्यर्पण की न्यायिक-प्रशासनिक दोहरी प्रक्रिया।

- **कूटनीतिक विचार:** पड़ोसी पहल और ढाका की नई सरकार से कार्यकारी संबंध; हासिना-युग के संबंधों की विरासत; मानवाधिकार प्रक्रिया की निष्पक्षता की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी; क्षेत्रीय स्थिरता।
- **विकल्प:** संधि के तहत न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना; आरोपों, दस्तावेज़ों और कानूनी शर्तों की जाँच; कूटनीतिक वार्ता से मध्यम मार्ग।

निष्कर्ष में: भारत के लिए कानून का पत्र और कूटनीति का संतुलन दोनों आवश्यक हैं; निर्णय की प्रक्रिया-निष्पक्षता ही भारत की क्षेत्रीय विश्वसनीयता तय करेगी।

स्रोत

- Indian Express, 9 नवंबर; अद्यतन10 नवंबर: फर्म का दावा और उच्चायोग की प्रामाणिकता संबंधी आपत्ति

- MEA: भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013 (मूल पाठ)
- MEA: प्रत्यर्पण संधियों की सूची
- BSS - बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी

(चित्र प्लेसहोल्डर: भारत-बांग्लादेश मानचित्र/द्विपक्षीय प्रतीकात्मक - प्रकाशक द्वारा जोड़ा जाए)